न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 30 / 2020

1–बिशनसिंह पुत्र भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी बरजन,तहसील नावां जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ठिकरिया कलॉ तहसील नावां, जिला नागौर।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मो0 अली शेरानी व श्री महावीर प्रजापत अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.06.2020 पीठासीन अधिकारी गुरूप्रसाद तॅवर, न्यायालय तहसीलदार नावां, जिला नागौर राज0 मु0सं0 51 / 2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का ठिकरिया कलॉ बनाम बिशनसिंह अन्तर्गत धारा 91 आ0एल0आर0 एक्ट

निर्णय

दिनांक:22.02.21

{1} – यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 51 / 2019 बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का ठिकरिया कलॉ बनाम बिशनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.6.2020 के विरूद्ध पेश किया है। मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ठिकरिया कलॉ ने अपीलान्ट / अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट / अप्रार्थी ने मौजा ग्राम बरजन के खसरा नम्बर 246

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 औरण पर मकान व अवैध कब्जा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, तथा अतिकमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। तहसीलदार नावां ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया किया। जिसके अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थी ने यह बताया कि उक्त भूमि उसकी पैतृक भूमि है जिस पर उसका व उसके परिवार का विगत लगभग 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जिसमें परिवार सहित निवास करता चला आ रहा हूँ तथा उक्त भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बरजन द्वारा जारी किया गया है। तथा उक्त भूखण्ड में बिजली का कनेक्शन, टेलिफोन का कनेक्शन ले रखा है तथा राशन कार्ड आदि भी बनाये हुवे है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमण करना पाया जाने से अप्रार्थी के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित किया कि अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा ग्राम बरजन के खसरा नम्बर 246 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 ओरण पर मकान व अवैध कब्जा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जो कि सरकार की गै0मु0 ओरण की भूमि है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता है। तथा शास्ती शरह लगान 5.00 का पचास गुणा अर्थात 250 रूपये अर्थदण्ड से आरोपित किया जाता हैं, पटवारी हल्का को अप्रार्थी के उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने व शास्ती कायमी/वसुली हेतु आदेश जारी होकर टी.आर.ए. तहसील हाजा को मांग कायमी हेतु आदेश जारी किये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 27.07.20 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 27.0.20 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु लिखा गया। अधिनस्थ न्यायालय का पत्रांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

राजस्व/2020/649 दिनांक 14.8.2020 द्वारा रिकोर्ड इस न्यायालय का प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 51/19 की प्रमाणित फोटोप्रति, पटवारी हल्का रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति, नोटिस, की फोटोप्रति पेश की, तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावा के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 14/2019 के निर्णय दिनांक 26.07.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश अधीन अपील पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों कि पालना नहीं कि है जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतिग्रस्त निर्णय से भी प्रमाणित है।

{2}(2) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचन ना करते हुये पारित किया हैं। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं आदेश शास्ति दिनांक 22.06.2020 अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि अपीलार्थी ग्राम बरजन का स्थाई निवासी है यह भूमि उसकी पेतृक है, तथा ग्राम मौजा बरजन के खसरा नम्बर 246 में पक्का मकान बनाकर लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलार्थी के पास उक्त मकान के अलावा किसी भी प्रकार का आवासीय मकान नहीं है। अपीलार्थी उक्त खसरा में करीब 100 वर्षो से परिवार सहित रहता आया है, तथा अपने मकान में विद्युत कनैक्शन व जिविकापार्जन की सभी सुविधा मुहैया करवा रखी है।

{2}(4) –यह है कि उक्त कब्जेसुद स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में मेरे पड़ौसी रघुनाथसिंह व उसके परिवार द्वारा कब्जा करने की कोशिश की तथा मेरे निजी स्वामित्व के रास्ते को रोककर बाधा पहुंचाने के कारण मैंने मेरी उक्त स्वामित्व की भूमि की सुरक्षा के लिए सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नावां शहर में एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। जो वर्तमान में सिविल न्यायालय नावा शहर में विचाधीन हैं उपराक्त सम्पूर्ण तथ्यों से यह सुस्पष्टतया साबित है कि मेरी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

उक्त कब्जेसुद स्वामित्वसुदा भूमि में ही काबिज हूँ तथा मैने किसी की भी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं आदेश, अधीन अपील अपास्त किए जाने योग्य हैं

{3} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का ठिकरिया कलॉ की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक देवली कलां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम बरजन, के खसरा नम्बर 146 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म औरण पर सवंत 2074 से पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने से उसके अधिवक्ता उपस्थित होकर अधिनस्थ न्यायालय में माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में फोटो प्रतियां पेश की, तथा यह कथन कि और कोई दस्तावेज पेश नहीं करना चाहते है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका दिनांक 18.02.202 से स्पष्ट है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी जानबुझ कर न्यायालय में कोई सबूत साक्ष्य उक्त मुतनाजा भूमि के समर्थन में पेश नहीं किये है। अपीलार्थी/अप्रार्थी को को समुचित अवसर देकर निर्णय किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 औरण की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने अपने मकान में विद्युत विभाग के द्वारा बिजली कनैक्शन होने का भी कथन किया है कि उसका मकान काफी सालो से बना है, तो यह भी गलत है कि जिस भूमि पर अप्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है वह भूमि गै0मु0 औरण राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता यह भूमि प्रतिबन्धित है। इसलिए विद्युत विभाग द्वारा किया गया विद्युत कनैक्शन अवैध है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता हैं

:::: आ दे श ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2020 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)